मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

20459
क्र. /22/वि–12/ग्रासप्रा/संधा./17 भोपाल दिनांक 7/09/2017

प्रति

महाप्रबंधक, (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन, (म.प्र.)

विषय :– वर्षा से मार्गो पर होने वाली क्षति के सबंध में।
संदर्भ:– इस कार्यालय का पत्र क्र. 16719 दिनांक 10/07/2017।

—0—

अतिवर्षा से मार्गो पर हुई क्षति के सुधार कार्यो के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। निर्देशों के पालन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों तथा महाप्रबंधको/मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा समय–समय पर उठाए प्रश्नों को देखते हुये इस बारे मे पुनर्विचार कर निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है–

कण्डिका 11.1 तथा 12.1 में अनुबंध निष्पादन के दौरान **Employer's Risk** तथा **Contractor's Risk** का उल्लेख है, इसमें जो कि इस प्रकार है :–

11.1 **Employer's Risks**-The Employer is responsible for the excepted risks which are (a) in so far as they directly affect the execution of the Works in the Employer's country, the risks of war, invasion, act of foreign enemies, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power, civil war, riot commotion or disorder (unless restricted to the Contractor's employees)and contamination from any nuclear fuel or nuclear waste or radioactive toxic explosive, or (b)a cause due solely to the design of the Works, other than the Contractor's design.

12.1 **Contractor's Risks** -All risks of loss of or damage to physical property and of personal injury and death which arise during and in consequence of the performance of the Contract other than the excepted risks, referred to in clause 11.1, are the responsibility of the Contractor.

अनुबंध कण्डिका 13.1 में कार्य प्रारंभ करने से कार्य पूर्णता तिथि तक ठेकेदार द्वारा कराये जाने वाले **Insurance** एवं कण्डिका 13.3(a) में कार्य पूर्णता तिथि से **Defect Liability** पूरी होने तक की अवधि में किये जाने वाले **Insurance** का स्पष्ट विस्तृत विवरण है। कण्डिका 13.3(a) में स्पष्ट प्रावधान है कि ठेकेदार कार्य पूर्णता के उपरांत **Personal injury** एवं **Death** के लिए ही **insurance** करायेगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि, ऐसे कार्य जो **Contractor's design** पर आधारित हैं, उनके लिए एवं ठेकेदार द्वारा **Defective** कार्य के लिए ठेकेदार **Performance Guarantee** के तहत उत्तरदायी होंगे। विभागीय डिजाइन के अनुसार निर्मित स्ट्रक्चर में डिजाइन से अधिक जल प्रवाह की स्थिति में हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी नही होंगे।

संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों का उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पालन किया जाए।. अतिवर्षा से मार्गों पर हुई क्षति के सुधार कार्यों के लिए प्रकरण प्रेषित करते समय महाप्रबंधक तथ्यों की पुष्टि कर उनका स्पष्ट उल्लेख करेंगे।

(एम.के.गुप्ता) 6/9/17
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल

20460
पृ. क्र. /22/वि–12/ग्रासप्रा/संधा./17 भोपाल दिनांक 7/09/2017

प्रतिलिपि–

1. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त)/वित्त, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वित्तीय सलाहकार, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियंता 6/9/17
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

E:\2017\Letter (laptop).doc